



UPMH040090612018

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (अवर खण्ड), महाराजगंज।

प्रियंका पटेल बनाम ऋषिकेश पटेल वगैरह

घरेलू हिंसा वाद संख्या—238 / 2018

धारा—12(1) डी0 वी0 एक्ट

थाना पनियरा

जनपद महाराजगंज।

01.10.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज सुनवाई हेतु नियत है किन्तु बार—बार पुकार पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हैं और न ही मौका प्रार्थना पत्र दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादिनी लगातार अनुपस्थित है एवं न्यायालय द्वारा पूर्व में अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को प्रार्थना पत्र के निस्तारण में कोई रुचि नहीं रह गयी है एवं वह प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहती है। अतः बल न दिये जाने के कारण वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थना पत्र बल के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आसिफ नवाज खान)

सिविल जज, अवर खण्ड /

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

महाराजगंज।